

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-119 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 10.12.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45 / (एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरी श्री अनिल कुमार करोरिया	तहसील देवरी एवं केसली	- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) - हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। - हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। - भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां - संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण - बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें

नोट— उक्त आदेश दिनांक 11.12.2025 से लागू होगा एवं उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश यथावत रहेगा।

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

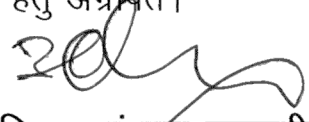
10.12.2025

7422
पृष्ठाकंन कमांक (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 10.12.20

01. अति० जिला न्यायाधीश देवरी (श्री अनिल कुमार करोरिया)
02. द्वितीय जिला न्यायाधीश देवरी (श्री महेश कुमार झा)
03. पंजीयन लिपिक देवरी।
04. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ देवरी।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

10/12/2023